to deliver the massive volume of teakwood that will give them a return of 50 to 89 times their investment in 20 years; and

(b) if so, the details and what steps are proposed to be taken by Government to see that the innocent public investors are not cheated by such companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) Yes, Sir.

(b) Government has decided that the schemes for which entities issue instruments such as agro-bonds, plantation bonds etc. would be treated as collective investment schemes and would fall within the regulatory ambit of Security Exchange Board of India.

राजाजी राष्ट्रीय पार्क में वन्य जीवों का अवैध शिकार

290. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री रामगोपाल यादव:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क और अन्य राष्ट्रीय पार्कों में वन्य जीवों का बेधड़क शिकार किए जाने संबंधी घटनाओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वन्य जीवों के अवैध शिकार की बढ़ रही घटनाओं को वहां के शीर्षस्थ अधिकारियों की सहमति मिली हुई; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) राष्ट्रीय पार्कों सहित भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से वन्य-जीवों के अवैध शिकार संबंधी कुछ छुटपुट घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उक्त घटनाओं को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) अवैध रूप से शिकार करने वालों तथा अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी में प्रदूषण

291. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली और इटावा के बीच विभिन्न स्तरों पर लगभग 400 करोड़ रुपये व्यय किए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या इतनी अधिक धनराशि खर्च करने के बावजूद उक्त क्षेत्र में यमुना नदी का जल स्वच्छ नहीं रहता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) सरकार यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत यमुना नदी के प्रदूषण निवारण के लिए 479.56 करोड़ रुपये अनुमोदित लागत की जगह दिनांक 31.3.98 तक 251.74 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। यह कार्य योजना हरियाणा में यमुना नगर-जगाधरी से उत्तर प्रदेश में इटावा तक विस्तृत है जिसमें कुल 21 शहर शामिल हैं; इसमें दिल्ली के अलावा हरियाणा में 12 शहर, उत्तर प्रदेश में 8 शहर आते हैं। सरकार दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए 15 सामूहिक बहि:स्राव उपचार संयंत्रों के निर्माण करने के लिए 90 करोड़ रुपये अनुमोदित लागत की जगह 22.50 करोड़ रुपये जारी भी कर चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार अपनी स्वयं की योजना के अन्तर्गत 13 सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिए 471.20 करोड़ रुपये अनुमोदित लागत की जगह 326.25 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर चुकी हैं।

(ग) और (घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्य पूरा किये जाने के विभिन्न चरणों में हैं। यमुना नदी की जल गुणवत्ता में सुधार तभी होगा जब सभी उपर्युक्त कार्य पूरे कर लिए जाएंगे तथा नदी में ताजे जल का न्यूनतम बहाव छोड़ा जाए ताकि इसमें उपचारित सीवेज का निस्तारण विलीन हो सके।